रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29022024-252476
CG-DL-E-29022024-252476

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945
No. 121]	NEW DELHI, , WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2024

सं. ए-10/178/2012-पीपीसी/पीबीआरबी(1).-—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 11 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) इसके तहत, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकारी विनियम 2012 में संशोधन करने के लिए नामत: निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

1. (1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) की अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के लिए प्राधिकारी विनियम, 2012 के विनियम 3 की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाए, नामत: -

सारणी

क्र.सं.	पदों का वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	अनुशासनात्मक प्राधिकारी।	अपीलीय प्राधिकारी।	पुनरीक्षण प्राधिकारी।	समीक्षा प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	समूह 'क', वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 और उससे ऊपर।	प्रसार भारती बोर्ड के कार्यकारी सदस्य या कार्यकारी सदस्य का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, या यदि दोनों पद रिक्त हैं, या दोनों की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे।	एक समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-: (i) अध्यक्ष, प्रसार भारती बोर्ड या यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है या उनकी अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या दोनों पदों के रिक्त होने के मामले में या दोनों की अनुपस्थिति में प्रधान महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार - अध्यक्ष; (ii) सदस्य (वित्त), प्रसार भारती बोर्ड या सदस्य (वित्त) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन) या	प्रसार भारती बोर्ड।	केंद्र सरकार

			महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य; (iii) सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती बोर्ड या सदस्य (कार्मिक) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन) या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य।		
2.	समूह 'ख', वेतन मैट्रिक्स में लेवल -6 से लेवल -9	(i) आकाशवाणी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (आकाशवाणी) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में,	प्रसार भारती बोर्ड के कार्यकारी सदस्य या कार्यकारी सदस्य का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, या यदि दोनों पद रिक्त हैं, या दोनों की अनुपस्थिति	एक समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-: (i) अध्यक्ष, प्रसार भारती बोर्ड या यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है या उनकी अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या दोनों पदों के रिक्त होने के मामले में या दोनों की अनुपस्तिथि में प्रधान महानिदेशक दूरदर्शन	केंद्र सरकार

		महानिदेशक (दूरदर्शन) या यदि दोनों पद रिक्त हैं, या दोनों की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या जहां सभी पूर्ववर्ती पद रिक्त हैं या सभी की अनुपस्थिति में प्रधान महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार, अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे ; (ii) दूरदर्शन में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, महानिदेशक (दूरदर्शन) या महानिदेशक (दूरदर्शन) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (आकाशवाणी)	में, प्रधान महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपीलीय प्राधिकारी होंगे ।	समाचार - अध्यक्ष; (ii) सदस्य (वित्त), प्रसार भारती बोर्ड या सदस्य (वित्त) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन) या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य; (iii) सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती बोर्ड या सदस्य (कार्मिक) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन) या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य।	

		या यदि दोनों पद रिक्त हैं, या दोनों की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या यदि सभी पूर्ववर्ती पद रिक्त हैं, या सभी की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे; (iii) प्रसार भारती सचिवालय, में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती बोर्ड या सदस्य (कार्मिक) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, सदस्य (वित्त), प्रसार भारती बोर्ड या यदि			

		दोनों पद रिक्त हैं, या दोनों की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे।			
3.	समूह 'ग' , वेतन मैट्रिक्स में लेवल-1 से लेवल-5	(i) स्टेशनों या केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों के लिए, वरिष्ठ समयमान या उस से ऊपर के स्तर के स्टेशन या केंद्र प्रमुख या यदि स्टेशन प्रमुख या केंद्र प्रमुख का पद रिक्त है या उनकी अनुपस्थिति में या अधिकारी वर्तमान ड्यूटी प्रभार धारण कर रहा है या अधिकारी वरिष्ठ समयमान से नीचे है, उसी जोन में किसी अन्य स्टेशन या केंद्र पर वरिष्ठ समयमान या उससे ऊपर के स्तर के स्टेशन प्रमुख या केंद्र प्रमुख अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे; (ii) प्रसार भारती के किसी अन्य प्रतिष्ठान में	(i) किसी स्टेशन या केंद्र में तैनात कर्मचारियों के लिए, संबंधित क्षेत्रीय अपर महानिदेशक या संबंधित क्षेत्रीय अपर महानिदेशक का पद रिक्त है या उनकी अनुपस्थिति में या संबंधित क्षेत्रीय अपर महानिदेशक के पद का पदधारी वर्तमान ड्यूटी प्रभार पर है या पद पर नहीं है, तो अपर महानिदेशक, आकाशवाणी या अपर महानिदेशक, दूरदर्शन, जैसा भी मामला हो, जो उस क्षेत्र के कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे है, अपीलीय प्राधिकारी होंगे; (ii) प्रसार भारती के किसी अन्य प्रतिष्ठान में तैनात कर्मचारियों के लिए अपर महानिदेशक स्तर के अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी होंगे।	(i) आकाशवाणी में तैनात कर्मचारियों के लिए, महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (आकाशवाणी) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (दूरदर्शन) या यदि दोनों पद रिक्त हैं, या दोनों की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या ऐसे मामले में जहां सभी पूर्ववर्ती पद रिक्त हैं या सभी की अनुपस्थिति में प्रधान महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार, पुनरीक्षण प्राधिकारी होंगे; (ii) दूरदर्शन में तैनात कर्मचारियों के लिए, महानिदेशक (दूरदर्शन) या महानिदेशक (दूरदर्शन) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (आकाशवाणी) या यदि दोनों पद रिक्त हैं, या	केंद्र सरकार”

		तैनात कर्मचारियों के लिए वरिष्ठ समयमान या उस से ऊपर के स्तर के अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे।		दोनों की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या यदि सभी पूर्ववर्ती पद रिक्त हैं, या सभी की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, पुनरीक्षण प्राधिकारी होंगे; (iii) प्रसार भारती सचिवालय में तैनात कर्मचारियों के लिए सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती बोर्ड या सदस्य (कार्मिक) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में सदस्य (वित्त), प्रसार भारती बोर्ड या दोनों पदों के रिक्त होने या दोनों की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय पुनरीक्षण प्राधिकारी होंगे ।	

शशि कांत, अपर महानिदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./774/2023-24]

टिप्पणी : प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4 में दिनांक 19 नवंबर, 2012 के संख्या ए -10/178/2012-पीपीसी के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 17 अगस्त, 2021 के संख्या ए-10/178/2012-पीपीसी/ पीबीआरबी द्वारा संशोधित किए गए थे।

PRASAR BHARATI

(Broadcasting Corporation of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2024.

No. A-10/178/2012-PPC/PBRB(1).—In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub-section (4) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) hereby makes the following regulations to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), Authorities for Disciplinary Proceedings Regulations, 2012, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Authorities for Disciplinary Proceedings (Amendment) Regulations, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Authority for Disciplinary Proceedings Regulations, 2012, in regulation 3, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

TABLE

Sl. No.	Classification of posts and level in pay matrix.	Disciplinary Authority.	Appellate Authority.	Revising Authority.	Reviewing Authority.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Group 'A', level-10 and above in the pay matrix.	Executive Member of the Prasar Bharati Board or in case the post of Executive Member is vacant or in his absence, the Principal Director General, Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, the Principal Director General, Central Bureau of Communication, Ministry of Information and Broadcasting, shall be the Disciplinary Authority.	A committee consisting of:- (i) Chairman, Prasar Bharati Board or in case the post of Chairman is vacant or in his absence, the Principal Director General, News Service Division, Akashvani, or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, the Principal Director General, Doordarshan News - Chairperson; (ii) Member (Finance), Prasar Bharati Board or in case the post of Member (Finance) is vacant or in his absence, the Director General (Akashvani) or the Director General (Doordarshan) or the Director General, News Service Division, Akashvani or the Director General, Doordarshan	Prasar Bharati Board.	Central Government.

			News or Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting - Member; (iii) Member (Personnel), Prasar Bharati Board or in case the post of Member (Personnel) is vacant or in his absence, the Director General (Akashvani) or the Director General (Doordarshan) or the Director General, News Service Division, Akashvani or the Director General, Doordarshan News or Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting - Member.		
2.	Group 'B', level-6 to level-9 in the pay matrix.	(i) for officers and employees posted in Akashvani, the Director General (Akashvani) or in case the post of Director General (Akashvani) is vacant or in his absence, the Director General (Doordarshan) or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, the Principal Director General, News Service Division, Akashvani or the Director General, News Service Division, Akashvani or in case where all the preceding posts are vacant or in the absence of all, the Principal Director General, Doordarshan News or the Director	Executive Member of the Prasar Bharati Board or in case the post of Executive Member is vacant or in his absence, the Principal Director General, Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, the Principal Director General, Central Bureau of Communication, Ministry of Information and Broadcasting, shall be the Appellate Authority.	A committee consisting of:- (i) Chairman, Prasar Bharati Board or in case the post of Chairman is vacant or in his absence, the Principal Director General, News Service Division, Akashvani, or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, the Principal Director General, Doordarshan News - Chairperson; (ii) Member (Finance), Prasar Bharati Board or in	Central Government.

		General, Doordarshan News, shall be the Disciplinary Authority; (ii) for officers and employees posted in Doordarshan, the Director General (Doordarshan) or in case the post of Director General (Doordarshan) is vacant or in his absence, the Director General (Akashvani) or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, the Principal Director General, Doordarshan News or the Director General, Doordarshan News or in case where all the preceding posts are vacant, or in the absence of all, the Principal Director General, News Service Division, Akashvani or the Director General, News Service Division, Akashvani, shall be the Disciplinary Authority; (iii) for officers and employees posted in Prasar Bharati Secretariat, Member (Personnel), Prasar Bharati Board or in case the post of Member (Personnel) is vacant or in his absence, Member (Finance), Prasar Bharati Board or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, Joint Secretary, Ministry of Information and		case the post of Member (Finance) is vacant or in his absence, the Director General (Akashvani) or the Director General (Doordarshan) or the Director General, News Service Division, Akashvani or the Director General, Doordarshan News or Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting - Member; (iii) Member (Personnel), Prasar Bharati Board or in case the post of Member (Personnel) is vacant or in his absence, the Director General (Akashvani) or the Director General (Doordarshan) or the Director General, News Service Division, Akashvani or the Director General, Doordarshan News or Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting - Member.	

		Broadcasting, shall be the Disciplinary Authority.			
3.	Group'C', level-1 to level-5 in the pay matrix.	(i) for employees posted at Stations or Kendras, the Station or the Kendra Head of the level of Senior Time Scale or above or in case the post of Station Head or Kendra Head is vacant or in his absence or the officer is holding current duty charge or the officer is a level below the Senior Time Scale, Station Head or Kendra Head of the Senior Time Scale or above level at another Station or Kendra in the same Zone shall be the Disciplinary Authority; (ii) for the employees posted at any other establishment of Prasar Bharati, Officer of the level of Senior Time Scale or above, shall be the Disciplinary Authority.	(i) for employees posted at a Station or Kendra, the Zonal Additional Director General concerned or in case the post of Zonal Additional Director General concerned is vacant or in his absence or the incumbent of the post of Zonal Additional Director General concerned is on current duty charge or is not in position, the Additional Director General, Akashvani or the Additional Director General, Doordarshan, as the case may be, who is supervising the work of that Zone, shall be Appellate Authority; (ii) for the employees posted at any other establishment of Prasar Bharati, Officer of the level of Additional Director General, shall be Appellate Authority.	(i) for employees posted in Akashvani, the Director General (Akashvani) or in case the post of Director General (Akashvani) is vacant or in his absence, the Director General (Doordarshan) or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, the Principal Director General, News Service Division, Akashvani or the Director General, News Service Division, Akashvani or in case where all the preceding posts are vacant or in the absence of all, the Principal Director General, Doordarshan News or the Director Gener al, Doordarshan News, shall be the Revising Authority; (ii) for employees posted in Doordarshan, the Director General	Central Government."

				(Doordarshan) or in case the post of Director General (Doordarshan) is vacant or in his absence, the Director General (Akashvani) or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, the Principal Director General, Doordarshan News or the Director General, Doordarshan News or in case where all the preceding posts are vacant, or in the absence of all, the Principal Director General, News Service Division, Akashvani or the Director General, News Service Division, Akashvani, shall be the Revising Authority; (iii) for employees posted in Prasar Bharati Secretariat, Member (Personnel), Prasar Bharati Board or in case the post of Member (Personnel) is vacant or in his absence, Member (Finance),	

				Prasar Bharati Board or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, shall be the Revising Authority.	

SHASHI KANT, Addl. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./774/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* number A-10/178/2012-PPC, dated 19th November, 2012 and were subsequently amended *vide* number A-10/178/2012-PPC/PBRB, dated 17th August, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.02.29 23:03:47 +05'30'